

P. F. :

Key No. :

(To be furnished in November each year)

LIFE CERTIFICATE

Certified that Sri/Smt. : son of/wife of
Sri is alive and has appeared
before me today on and has signed before me.

Signature of Pensioner

P.F. No.

Bank Account No.

Branch Code

PAN No.

Contact No.

E-mail

Aadhaar No.

Name

Designation

with seal

(Attesting Officer)

CERTIFICATE OF RE-MARRIAGE BY WIDOW

Certified that I am a widow and have not remarried.

Signature of Family Pensioner

P. F. No.

CERTIFICATE OF NON-EMPLOYMENT/RE-EMPLOYMENT

(i) I declare that I have not been serving in any capacity either in a Govt. department/office, Company, Corporation, autonomous body or Society of Central or State Government or Union Territory or a Local Fund during the half year ended May/November, 20.....

OR

I declare that I have been employed/re-employed in the office of and was in receipt of the following monthly rates of emoluments during the half year ended May/November, 20..... or during the months of falling with the said half year.

(a) Pay

Special Pay

Allowances

(Including D.A./A.D.A. etc.)

(b) Honorarium

Further that the orders of my re-employment do/do not stipulate my pension being held in abeyance during the re-employment period.

*(ii) I declare that I have not accepted any commercial employment in India.

OR

I declare that I have accepted commercial employment in India, after obtaining previous sanction of the Central Govt. and none of the conditions, if any, attached there to by Govt. has been violated.

Note : This declaration is required to be given for a period of two years from the date of retirement.

(iii) I declare that I have not accepted any employment under a Govt. outside India/an International Organisation of which the Govt. of India is not a member.

OR

I declare that I have accepted employment under a Government outside India/an International Organisation of which Government of India is not a member after obtaining the Previous sanction of the Central Govt. and none of the conditions attached thereof by the Government has been deviated from.

Place

Date

Signature of Pensioner

* Certificate at (ii) and (iii) are to be furnished only by retired group 'A' Officers

व्य. प. संख्या.....

की संख्या.....

(प्रत्येक वर्ष नवम्बर माह में दे दिया जाए)

जीवन प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती..... पुत्र/पुत्री
श्री..... जीवित हैं और आज दिनांक..... को मेरे समक्ष उपस्थित हुए तथा हस्ताक्षर किए।
पेंशनर के हस्ताक्षर नाम.....
व्य० प० सं०..... पद मोहर के साथ.....
बैंक खाता सं०.....
ब्रान्च कोड.....
पैन नं०..... (सत्यापन अधिकारी)
दूरभाष.....
ई-मेल.....
आधार नं०.....

विधवा द्वारा पुनर्विवाह न करने का प्रमाण-पत्र

मैं प्रमाणित करती हूँ कि मैं विधवा हूँ और मैंने पुनर्विवाह नहीं किया है।

परिवार पेंशनर के हस्ताक्षर

व्य० प० सं०.....

बेरोजगार/पुनः रोजगार का प्रमाण-पत्र

(1) मैं घोषित करता/करती हूँ कि मैं मई/नवम्बर २०..... के अर्थ वर्ष के अन्त में किसी हैसियत से सरकारी विभाग/कार्यालय, कम्पनी, निगम, स्वायत्त निकाय या केन्द्रीय या राज्य सरकार या संघ क्षेत्र या स्थानीय निधि में सेवारत नहीं हूँ।

या

मैं घोषित करता/करती हूँ कि मैं मई/नवम्बर २०..... के अर्थ वर्ष के अन्त में माह..... के दौरान.....
कार्यालय में कार्यरत/पुनः कार्यरत था/ थी जहाँ परिलब्धियों की मासिक दरें निम्न प्रकार थी।

(अ) वेतन.....
विशेष वेतन.....
भत्ते.....
(मँहगाई भत्ता या अति० मँहगाई भत्ता समेत)

(ब) मानदेय

या

मेरे पुनर्नियोजन में इस प्रकार का कोई अनुबन्ध नहीं है कि पुनर्नियोजन की अवधि के दौरान मेरी पेंशन को प्रस्थागित रखा जाय।

* (2) मैं घोषित करता/करती हूँ कि मैंने भारत में वाणिज्य सम्बन्धी कोई नियोजन स्वीकार नहीं किया है।

या

मैं घोषित करता/करती हूँ कि मैंने केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त कर भारत में वाणिज्य सम्बन्धी नियोजन स्वीकार किया है और यह कि जिससे सम्बन्धित शासन की यदि कोई शर्तें हैं तो उनका उल्लंघन नहीं किया गया है।

टिप्पणी:- सेवा निवृत्ति की तिथि से दो साल की अवधि के लिए इस घोषणा-पत्र की आवश्यकता है।

(3) मैं घोषित करता/करती हूँ कि मैंने भारत के बाहर किसी सरकार के अधीन/अन्तर्राष्ट्रीय संगठन जिसका भारत सरकार सदस्य नहीं है, किसी भी नियोजन को स्वीकार नहीं किया है।

या

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने भारत सरकार के बाहर किसी सरकार के अधीन/अन्तर्राष्ट्रीय संगठन जिसका भारत सरकार सदस्य नहीं है, के अधीन केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के पश्चात् नियोजन स्वीकार किया है और सरकार द्वारा लगाई गई किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया है।

स्थान:.....

दिनांक :.....

पेंशनर के हस्ताक्षर

* (2) और (3) पर दिये गये प्रमाण-पत्र केवल सेवानिवृत्ति वर्ग "क" के अधिकारियों द्वारा ही दिया जाना है।